



2026:AHC-LKO:3635

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट-ए याचिका संख्या - 227 सन् 2026

सोहन लाल (पीएनओ-852632015) याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, (पुलिस) अनुभाग - 2, लखनऊ

और 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पंकज पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी पक्षों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. दिनांक 29.09.2025 और 30.10.2025 के आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है और वसूली के आदेश भी जारी किए गए हैं। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता को 28.06.2013 को दिया गया पहला ए.सी.पी. (वार्षिक वेतन भुगतान) गलत तरीके से दिया गया था।
3. यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता की 31.07.2025 को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पारित किए गए हैं और विवादित आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उन लाभों की वसूली की गई है जो याचिकाकर्ता पिछले बारह वर्षों से प्राप्त कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश कथित अधिक वेतन भुगतान में याचिकाकर्ता की किसी भी मिलीभगत या गलत बयानी का संकेत नहीं देता है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया है: पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) 4 एससीसी 334 में प्रकाशित।
4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता को इस मामले में लिखित निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि विवादित आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किए गए हैं कि किसी त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को अधिक भुगतान किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 28.06.2013 से प्रभावी रूप से प्रदान की गई एसीपी (वार्षिक वेतन भत्ता) का पुनर्निर्धारण किया गया है और इस आरोप पर लाभ वापस ले लिए गए हैं कि ये लाभ उसे गलत तरीके से प्रदान किए गए थे, विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। चूंकि तथ्यों को विवादित आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लाया गया है, इसलिए याचिका पर प्रवेश स्तर पर ही विचार किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य [एआईआर 1978 एससी 851] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, जिसमें प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के वेतन का पुनर्निर्धारण वर्ष 2013 से प्रभावी कर दिया गया है और वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि विवादित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य बनाम रफीक मसीह (उपरोक्त) मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से वसूली नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब जब कर्मचारी की ओर से किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत बयानी का कोई आरोप न हो।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशील कुमार सिंघल बनाम प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है, जो (2014)16 एससीसी 444:2014(2) ईएससी 271 (एससी) में प्रकाशित हुआ है। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के विवाद पर विचार किया था और दिनांक 16.01.2007 के सरकारी आदेश पर भरोसा करते हुए यह माना था कि यदि सेवानिवृत्ति से पहले वेतन निर्धारण में कोई गलती हुई थी, तो दिनांक 16.01.2007 के सरकारी आदेश के अनुसार न तो गलती से भुगतान किया गया कोई वेतन वापस लिया जा सकता था और न ही पेंशन कम की जा सकती थी, क्योंकि पेंशन देने के उद्देश्य से केवल सेवानिवृत्ति से 34 महीने पहले के रिकॉर्ड की ही जांच की जा सकती थी।

9. उक्त पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2024) 8 एससीआर 377 के मामले में निम्नलिखित तरीके से विचार किया है: -

"21. हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद। सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य¹ के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि जब अनधिकृत अतिरिक्त भुगतान का पता थोड़े समय के भीतर चल जाता है, तो नियोक्ता के लिए इसकी वसूली करना उचित होगा। इसके विपरीत, यदि भुगतान लंबे समय तक किया गया हो, तो किसी भी प्रकार की वसूली करना अनुचित होगा। सैयद अब्दुल कादिर (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं: -

"57. इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में वेतन/भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली के विरुद्ध राहत प्रदान की है, यदि (क) अतिरिक्त राशि का भुगतान कर्मचारी द्वारा किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं किया गया था, और (ख) यदि नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या किसी नियम/आदेश की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर ऐसा अधिक भुगतान किया गया था, जो बाद में गलत पाई गई।

58. वसूली के विरुद्ध राहत न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायसंगतता के आधार पर, न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को उस कठिनाई से राहत प्रदान की जाती है जो वसूली का आदेश दिए जाने पर उत्पन्न होगी। लेकिन, यदि किसी विशेष मामले में यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मचारी को इस बात की जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत तरीके से किया गया था, या ऐसे मामलों में जहां गलत भुगतान के कुछ ही समय के भीतर त्रुटि का पता चल जाता है या उसे सुधार लिया जाता है, तो मामला न्यायिक विवेकाधिकार के दायरे में होने के कारण, न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश दे सकते हैं।

59. निःसंदेह, अपीलकर्ता शिक्षकों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि उनके द्वारा किसी प्रकार के कुप्रबंधन या धोखाधड़ी के कारण नहीं थी और अपीलकर्ताओं को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें भुगतान की जा रही राशि उनके हक से अधिक थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि वित्त विभाग ने अपने प्रति-हलफनामे में स्वीकार किया है कि यह उनकी ओर से एक वास्तविक त्रुटि थी। अतिरिक्त भुगतान उनके लिए लागू नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था, जिसके लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बल्कि, यह सारा भ्रम बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और असावधानी के कारण था। अपीलकर्ता शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि लाभार्थियों में से अधिकांश या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ता शिक्षकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए, हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता शिक्षकों को अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। (जोर दिया गया)

22. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने आईटीसी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया: -

"108. हम सेवा न्यायशास्त्र से एक उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ अक्सर समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए कर्मचारी को कुछ समान परिस्थितियों में राहत दी जाती है। जहाँ किसी कर्मचारी को देय वेतन या अन्य पारिश्रमिक नियोक्ता द्वारा निर्धारित और भुगतान किया जाता है, और बाद में नियोक्ता (आमतौर पर लेखापरीक्षा सत्यापन पर) यह पाता है कि नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा नियमों की गलत समझ के कारण अधिक भुगतान किया गया है, तो न्यायालयों ने निर्दोष कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए, पिछले अधिक भुगतानों की वसूली के संबंध में सीमित राहत देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, जिन्होंने इस तरह की गलत व्याख्या से लाभ उठाया है। (जोर दिया गया)"

23. स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य³ के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"18. उन सभी कठिनाइयों की स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर प्रभावित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। फिर भी, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम संदर्भ के लिए, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानून में अस्वीकार्य होगी:

- (i) श्रेणी तृतीय और श्रेणी चतुर्थ सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
- (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, या उन कर्मचारियों से जो वसूली आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
- (iv) उन मामलों में वसूली जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से भुगतान करने के लिए कहा गया हो। उच्च पद के कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद, उसे उसी के अनुरूप वेतन दिया गया है, जबकि वास्तव में उसे निम्न पद पर कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए था।
- (v) किसी अन्य मामले में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कर्मचारी से वसूली करना अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमाना होगा, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के उचित संतुलन से कहीं अधिक होगा। (जोर दिया गया)

24. हाल ही में, इस न्यायालय ने थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में यह माना कि राज्य 10 वर्ष की देरी के बाद पूर्व कर्मचारी को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकता।

25. विशेष रूप से 8 फरवरी, 1999 का सरकारी संकल्प, ऊपर हाइलाइट किया गया अंश इस व्याख्या के योग्य है कि यह उन कर्मचारियों की स्थिति और वेतन की रक्षा करता है जिन्हें 31 दिसंबर, 1995 से पहले समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप, संबंधित सचिव ने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करते हुए उक्त संकल्प की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या और गलत प्रयोग किया

जिससे अपीलकर्ता को नुकसान हुआ।

26. पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ भी इसी त्रुटि में प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा मानना है कि किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती और वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर नागरिक और प्रतिकूल परिणाम होते हैं। इसलिए, अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें 4 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 10 मार्च, 1991 को एडीएसओ के पद पर पदोन्नत किया गया था, उस समय वे पद के लिए लागू 6500-10500 रुपये के वेतनमान पर थे, और वसूली नोटिस दिनांक 15 अप्रैल, 2009 जारी होने से आठ वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। वेतनमान में कटौती और अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देने वाली विवादित कार्रवाई घोर मनमानी और अवैध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के दोष से भी ग्रस्त है, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

10. उपरोक्त निर्णय की वर्तमान मामले में प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि वेतनमान का पुनर्निर्धारण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगदीश प्रसाद सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले के विरुद्ध है, साथ ही दिनांक 16.1.2007 के सरकारी आदेश के भी विरुद्ध है।

11. उपरोक्त पहलू पर सुशील कुमार सिंघल (उपरोक्त) मामले में भी निम्नलिखित तरीके से विचार किया गया है:-

7. उपर्युक्त सरकारी आदेश और अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता 31 दिसंबर, 2003 को सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनका वेतन 11,625 रुपये था और इस वेतन के आधार पर उनकी पेंशन 9000 रुपये निर्धारित की गई थी। यह स्वीकार किया जाता है कि यदि वेतन निर्धारण में कोई त्रुटि हुई थी, तो वह त्रुटि 1986 में हुई थी, अर्थात् अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति से बहुत पहले। इसलिए, दिनांक 16 जनवरी, 2007 के उपर्युक्त सरकारी आदेश के अनुसार, न तो अपीलकर्ता को गलती से भुगतान किया गया कोई वेतन वसूल किया जा सकता था और न ही अपीलकर्ता की पेंशन कम की जा सकती थी।

11. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया निवेदन कि अपीलकर्ता को उसके हक से अधिक राशि मिल रही है, स्वीकार्य नहीं है। सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2007 के सरकारी आदेश में निर्धारित नीति के मददेनजर इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि गलतियाँ अक्सर होती हैं, तो सरकार अपनी नीति में बदलाव कर सकती है, लेकिन दिनांक 16 जनवरी, 2007 के सरकारी आदेश के लागू रहने तक, प्रतिवादी-नियोक्ता अपीलकर्ता को भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली या उसकी पेंशन में कटौती के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था।

12. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के स्पष्ट रूप से विरुद्ध हैं। इसी को देखते हुए, विवादित आदेश(ओं) को उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी करके एतद्वारा निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परमादेश प्रकृति की रिट जारी की जाती है जिसमें विपक्षी पक्षों को आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय पेंशन और पेंशन लाभों का निर्धारण करें, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर। याचिकाकर्ता से की गई कोई भी वसूली इस आदेश की प्रमाणित प्रति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

13. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

19 जनवरी 2026

केवीजी/-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(मनीष माथुर, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"